सार-समाचार

नारायणलाल कीर बने निर्विरोध अध्यक्ष

राजसमंद, (निसं)। मोही कस्बे के समीप रेलवे स्टेशन के पास स्थित हरिकेशी कीर समाज के सामुदायिक भवन में गुरुवार को बडा चोकला कीर समाज की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता लहरीलाल कीर ने की। इसमें बडा चोकला क्षेत्र के सभी गांवों के जनप्रतिनिधि व समाजजन मौजूद रहे। बैठक में समाज में बढते फि जूलखर्ची, सामाजिक कुरीतियों और विवाह आयोजनों में होने वाले अनावश्यक खर्च कम करने पर विस्तृत चर्चा की गई। समाज के वरिष्ठजनों ने शादी-विवाह में कपडा प्रथा को सीमित करने, सोना-चांदी की अधिकता को कम करने और समाज को शिक्षा की मुख्यधारा से जोडने पर जोर दिया। इस दौरान जिला युवा कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से विघटन किया गया। पिछले 8 वर्षो से अध्यक्ष पद पर कार्यरत प्रेमलाल कीर को पद से मुक्त करते हुए नारायणलाल कीर को निर्विरोध जिला युवा अध्यक्ष मनोनीत किया गया। उपाध्यक्ष पद पर सुरेश कीर मोही को नियुक्त किया गया।

220 किलो पेप्सी चुस्की कराई नष्ट

डूंगरपुर, (निसं)। जिले के सीमलवाडा पीठ क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्यवाही की है। टीम ने छापेमारी कर दुकानों से भारी मात्रा में पेप्सी चुस्की जब्त की, जिसमें कृत्रिम रंगों का अत्यधिक उपयोग पाया गया। लगभग 22० किलोग्राम पेप्सी चुस्की को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। यह कार्रवाई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अलंकार गुप्ता के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी आसिमदीन और उनकी टीम ने की। निरीक्षण के दौरान मैसर्स सैफीए इलियाज और अनम किराना स्टोर पर पेप्सी चुस्की में तय मानक से अधिक कृत्रिम रंग मिले। इसके अतिरिक्त लगभग 18 किलोग्राम अवधिपार कुरकुरे, नमकीन और सोनपापडी भी जब्त कर नष्ट की गई। यह अभियान जिले में शुद्ध आहार अभियान के तहत चलाया जा रहा है। विभागों की इस औचक जांच से इलाके के व्यापारियों में हडकंप मच गया। प्रशासन और चिकित्सा विभाग इस अभियान को लेकर एक्शन मोड में चला रहा है। आगामी होली त्यौहार को देखते हुए, डॉ. अलंकार गुप्ता ने मिलावट के खिलाफ विशेष टीमें गठित की है। ये टीमें पूरे जिले में खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच कर रही है। अब तक एक्ट के तहत दूध, घी, तेल, मसाले और मावा मिठाई सहित 37 नमूने लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए बांसवाडा प्रयोगशाला भेजा गया है।

वाहन की टक्कर से राहगीर की मौत

डूंगरपुर, (निसं)। जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक राहगीर की मौत हो गई। गुरुवार सुबह कोवाडिया फला की कनिपा बस्ती के पास सडक किनारे उसका शव मिला। पुलिस ने मृतक की पहचान कोवाडिया फला निवासी रतनलाल डामोर के रूप में की है। धम्बोला थाने के एएसआई ने बताया कि गुरुवार सुबह उन्हें सूचना मिली थी कि कनिपा बस्ती के पास सडक किनारे एक व्यक्ति का शव पडा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल से अज्ञात वाहन की आगे की लाइट के टुकडे भी बरामद हुए हैं। परिजनों ने पुलिस को बताया कि रतनलाल बीती रात घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा।

सामान व नकदी चोरी

उदयपुर, (कासं)। दिवार में छेद कर दुकान से सामान व नकदी चोरी करने वालों के खिलाफ नाई थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडित देवीलाल पुत्र हिराजी भगोरा निवासी रायता हॉल सिंघी घाटी पई ने पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें उसने बताया कि सिंघी घाटी रोड् में पर मेरी जनरल सामान की दुकान है। 24 फरवरी रात में आए अज्ञात चोर पिछवाडे की दिवार में छेद कर अंदर घुस कर दुकान में सिगरेट, बीडी सहित खाने का सामान, लेपटॉप, गल्ले से करीब 5 हजार रुपये नकदी चुरा ले गए।

अवैध एमडीएमए बरामद, महिला गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। डीएसटी एवं फतहनगर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए अवैध एमडीएम बरामद कर एक महिला को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल, ुलिस उप अधीक्षक छगनपुरोहित के सुपरविजन में फतहनगर थानाधिकारी चन्द्रशेखर किलानिया, डीएसटी टीम प्रभारी एएसआई विक्रमसिंह मय टीम ने संयुकत कार्यवाही करते हुए टमुडीबाई उर्फ शंभूबाई पत्नी रूपलाल निवासी गारियावास वासली कि।

कार्यालय नगर परिषद, राजसमंद
जिला-राजसमंद

क्रमांक : नपरा/राजस्व/2025-26/3882 दि. 16.10.2025

आपत्ति सूचना पत्र

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है श्रीमती माया देवी पत्नी श्री अर्जुनजी पालीवाल जाति ब्राह्मण निवासी गांव डिप्टी तहसील व जिला-राजसमंद द्वारा पैतृक/खरीदशुदा से प्राप्तशुदा आवासीय/वाणिज्यिक पट्टेशुदा भूखण्ड/मकान जो राजस्व ग्राम हवाला के आराजी नं. 205, 212, 213, 214 के पट्टा नं. 5376 दिनांक 15.02.2013 भूखंड का क्षेत्रफल 46445 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया। आवेदक द्वारा क्रयशुदा/प्राप्तशुदा उक्त भूखण्ड सं. 01 का क्षेत्रफल 999.57 वर्गफीट का उपविभाजन/एकीकरण/ नामान्तरण चाही गयी है। जिसके पडौस निम्नानुसार हैः-

पूर्व	26'8''	पड़ौस	अन्य आराजी 206 की भूमि
पश्चिम	29'3''	पड़ौस	आम रास्ता 40 फीट चौड़ा
उत्तर	39'0	पड़ौस	भूखण्ड संख्या 02
दक्षिण	32'6''	पड़ौस	अन्य आराजी की भूमि

उपरोक्त आवेदित भूखण्ड/भवन का उपविभाजन/एकीकरण/ नामान्तरण जारी करने में यदि किसी हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो आपत्ति सूचना प्रकाशित होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। बाद मयाद कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।

आयुक्त
नगर परिषद, राजसमंद

कार्यालय नगर परिषद, राजसमंद
जिला-राजसमंद

क्रमांक : नपरा/राजस्व/2025-26/3963 दि. 3.11.2025

आपत्ति सूचना पत्र-83439

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है श्री रजनीकांत पालीवाल पिता श्री बिहारीलाल पालीवाल निवासी सुन्दरचा तहसील व जिला राजसमंद द्वारा पैतृक/खरीदशुदा से प्राप्तशुदा आवासीय पट्टेशुदा भूखण्ड/मकान जो स्थान राजस्व ग्राम हवाला के खसरा नं. 205, 212, 213, 214 जिसका पट्टा सं. 5373 दिनांक 15.02.2013 को जारी हुआ। जिसका कुल क्षेत्रफल 46445.00 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया। आवेदक द्वारा उक्त भूखंड में से क्रयशुदा/प्राप्तशुदा भूखण्ड 04 का जिसका क्षेत्रफल 1000.32 वर्गफीट का उपविभाजन/ एकीकरण/ नामान्तरण चाही गयी है। जिसके पडौस निम्नानुसार हैः-

पूर्व	19'04''	पड़ौस	आराजी नं. 206
पश्चिम	19'09''	पड़ौस	रास्ता 40 फीट चौड़ा
उत्तर	54'00''	पड़ौस	प्लॉट संख्या 05
दक्षिण	49'06''	पड़ौस	प्लॉट संख्या 03

उपरोक्त आवेदित भूखण्ड/भवन का उपविभाजन/एकीकरण/ नामान्तरण जारी करने में यदि किसी हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो आपत्ति सूचना प्रकाशित होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। बाद मयाद कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।

आयुक्त
नगर परिषद, राजसमंद

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांकः F.9 ( )भू.रु./GEN/2026 **आम-सूचना** दिनांकः- 25/2/2026

निम्न आवेदन कर्ता द्वारा अपने भूखण्ड का वारीसान/वसीयत/हक त्याग/विक्रय पत्र के आधार पर अपने नाम पर नामान्तरण किये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया हैः-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्गफीट)	राजस्व ग्राम एवं खसरा संख्या	आवेदक का नाम/ पिता का नाम	मृतक का नाम एवं स्वामित्व का आधार
1.	20 (MUT NO. 9037)	1000	बेडवास खसरा संख्या 1309, 1322 से 1332, 1334 से 1354 आदि	श्री राजेन्द्र बंशीवाल पिता स्व. नाथुलाल खटीक, निवासी खटीको का मोहल्ला, कोठारिया, चक- ए, नाथद्वारा, राजसमन्द (राज.)	श्री नाथुलाल पिता श्री केशुलाल बंशीवाल का स्वर्गवास स्वर्गवास दिनांक 26-04-2021 को हो जाने पर उनके वारिसान श्रीमती मांगी देवी पत्नी स्व. नाथुलाल खटीक, श्रीमती प्रतिज्ञा देवी श्रीमती ललिता, श्रीमती किरण खटीक पुत्री स्व. नाथुलाल खटीक द्वारा किये गये पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 16-12-2025 के आधार पर नामान्तरण चाहा गया है।

अतः उपरोक्तानुसार उक्त भूखण्ड का वारिसान के आधार पर नामान्तरण पत्र जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/फर्म को किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति/एतराज हो तो वो अपनी आपत्ति मय आधारों सहित इस सार्वजनिक सूचना पत्र के प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में संबंधित शाखा के अन्दर इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अधोहस्ताक्षर कर्ता को प्रस्तुत कर सम्बंधित शाखा प्रभारी को लिपिक को प्रस्तुत करावें। अन्यथा बाद गुजरने मयाद आवेदक के नाम पर उक्त भूखण्ड का नामान्तरण-पत्र उपरोक्तानुसार आवेदको के नाम पर जारी कर दिया जावेगा। (रणजीत सिंह विठ्ठू) तहसील उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

जिले को प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाने का लिया संकल्प

■ डूंगरपुर जिले को स्वच्छ बनाने हेतु महिला सभाओं का आयोजन

डूंगरपुर, (निसं)। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा) के तहत् 16 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक चलाये जा रहे प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान 2०26 के तहत् दिनांक 25-26 फरवरी को प्रत्येक गांव में राजीविका की महिला सभा का आयोजन किया गया। जिसमें महिलाओं को प्लास्टिक के दुष्प्रभावो की जानकारी देकर प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की जानकारी दी गई।

सभा में महिलाओं को घरेलु स्तर पर गीला कचरा व सुखा कचरा अलग-अलग कचरा पात्रों में पृथक करने व प्लास्टिक के विकल्पों की जानकारी देते हुए सामाजिक कार्यक्रमों में डिस्पोजेबल बर्तनों के स्थान पर बर्तन बैंकों के माध्यम से बर्तनों का उपयोग किये जाने हेतु प्रेरित किया गया। प्लास्टिक के विकल्प के रूप में कपडे व जुट के थैलों का उपयोग व सामाजिक कार्यक्रमों में पेड के पत्तों से बने पत्तल दोनों का उपयोग करने की जानकारी दी गई। सभा स्थल के आस-पास महिलाओं द्वारा प्लास्टिक कचरा एकत्रित कर प्लास्टिक का उपयोग न करने व गांव में स्वच्छता बनाये रखने की शपथ ली। इस कार्यक्रम में समस्त ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों राजीविका के अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों, सी. एल. एफ व ग्राम संगठन के पदाधिकारियों व राजीविका की महिलाओं सहित ग्रामीणों ने भाग लिया। इस अवसर पर जिला परिषद् के मुख्यकार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड ने बताया की प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान का समापन 28 फरवरी को किया जाएगा जिसमें पंचायत समिति स्तर पर समापन कार्यक्रम में प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की शपथ दिलाना एवं प्लास्टिक मुक्त गांव का संकल्प लेना, एकल उपयोगी प्लास्टिक एवं दृश्यमान प्लास्टिक कचरा मुक्त गांव को स्वच्छ गांव घोषित करना एवं अच्छी ग्राम पंचायत को ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित करना सर्वाधिक प्लास्टिक संग्रहण करने वाले प्लास्टिक बैंक के विद्यालय और स्वंयसेवी संस्थाओं ब्लॉक स्तर पर सम्मानित करना आदि कार्यक्रम आयोजित किये जांएगे। अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पहाडिया ने बताया की राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह व मुख्यकार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड की जिले में दृश्यमान स्वच्छता कायम रखने हेतु विशेष पहल के तहत इस अभियान के बाद भी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति माह प्रथम सप्ताह एवं तृतीय सप्ताह के मंगलवार, बुधवार को सघन स्वच्छता अभियान आयोजित किया जाएगा।

जिसमें प्लास्टिक का उपयोग, कचरा फैलाने पर जुर्माना लगाने पर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 (यथा संशोधित) व डूंगरपुर जिला परिषद् (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) उपविधियां 2019 के प्रावधानों के अनुसार दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

जेवरात व नकदी चोरी

उदयपुर, (कासं)। शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में स्थित सूने मकान से चोर जेवरात व नकदी चुरा ले गए। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडित रतनलाल पुत्र दलीचंद कुमावत निवासी मीरा नगर ओल्ड आरटीओं रोड़ ने पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवायां जिसमें उसने बताया कि 25 फरवरी को रिश्तेदारी की मृत्यु होने पर मकान पर ताला लगा कर वहां गए थे।

कार्यालय नगर परिषद, राजसमंद
जिला-राजसमंद

क्रमांक : नपरा/राजस्व/2025-26/3961 दि. 3.11.2025

आपत्ति सूचना पत्र-83443

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है श्री जगदीशचन्द्र पिता श्री नारायणलाल पालीवाल निवासी कोशीवाड़ा तहसील खमनोर जिला राजसमंद द्वारा पैतृक/खरीदशुदा से प्राप्तशुदा आवासीय पट्टेशुदा भूखण्ड/मकान जो स्थान राजस्व ग्राम हवाला के खसरा नं. 205, 212, 213, 214 जिसका पट्टा सं. 5373 दिनांक 15.02.2013 को जारी हुआ। जिसका कुल क्षेत्रफल 46445.00 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया। आवेदक द्वारा उक्त भूखंड में से क्रयशुदा/प्राप्तशुदा भूखण्ड 07 का जिसका क्षेत्रफल 999.58 वर्गफीट का उपविभाजन/ एकीकरण/ नामान्तरण चाही गयी है। जिसके पडौस निम्नानुसार हैः-

पूर्व	15'08''	पड़ौस	प्लॉट सं. 04
पश्चिम	16'00''	पड़ौस	प्लॉट सं. 06
उत्तर	65'07''	पड़ौस	रास्ता 60 फीट चौड़ा
दक्षिण	62'00''	पड़ौस	सरकारी भूमि

उपरोक्त आवेदित भूखण्ड/भवन का उपविभाजन/एकीकरण/ नामान्तरण जारी करने में यदि किसी हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो आपत्ति सूचना प्रकाशित होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। बाद मयाद कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।

आयुक्त
नगर परिषद, राजसमंद

कार्यालय नगर परिषद, राजसमंद
जिला-राजसमंद

क्रमांक : नपरा/राजस्व/2025-26/4529 दि. 24.2.2025

आपत्ति सूचना पत्र

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है श्री प्रमोद शर्मा पिता श्री गोविन्दलाल शर्मा निवासी कांकरोली तहसील व जिला राजसमंद द्वारा ऑनलाइन क्रमांक 172573 से पैतृक/खरीदशुदा से प्राप्तशुदा आवासीय/वाणिज्यिक पट्टेशुदा भूखण्ड/मकान जो राजस्व ग्राम गुड़ली के आराजी नं. 213, 547/223, 605/225 पट्टा नं. 6743 दिनांक 4.07.2024 भूखंड सं. 06 का क्षेत्रफल 920.00 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया। आवेदक द्वारा क्रयशुदा/प्राप्तशुदा उक्त भूखण्ड सं. 06 का क्षेत्रफल 920.00 वर्गफीट का उपविभाजन/एकीकरण/ नामान्तरण चाही गयी है। जिसके पडौस निम्नानुसार हैः-

पूर्व	20'0''	पड़ौस	रास्ता 30 फीट चौड़ा
पश्चिम	20'0''	पड़ौस	प्लॉट नं. 09
उत्तर	47'9''	पड़ौस	प्लॉट नं. 07
दक्षिण	44'3''	पड़ौस	प्लॉट नं. 05

उपरोक्त आवेदित भूखण्ड/भवन का उपविभाजन/एकीकरण/ नामान्तरण जारी करने में यदि किसी हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो आपत्ति सूचना प्रकाशित होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। बाद मयाद कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।

आयुक्त
नगर परिषद, राजसमंद

कार्यालय नगर परिषद, राजसमंद
जिला-राजसमंद

क्रमांक : नपरा/राजस्व/2025-26/3962 दि. 3.11.2025

आपत्ति सूचना पत्र-83442

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है श्री मधुसुदन पुरोहित पिता श्री नारायणलाल पालीवाल निवासी कोशीवाड़ा तहसील खमनोर व जिला राजसमंद द्वारा पैतृक/खरीदशुदा से प्राप्तशुदा आवासीय पट्टेशुदा भूखण्ड/मकान जो स्थान राजस्व ग्राम हवाला के खसरा नं. 205, 212, 213, 214 जिसका पट्टा सं. 5373 दिनांक 15.02.2013 को जारी हुआ। जिसका कुल क्षेत्रफल 46445.00 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया। आवेदक द्वारा उक्त भूखंड में से क्रयशुदा/प्राप्तशुदा भूखण्ड 08 का जिसका क्षेत्रफल 998.50 वर्गफीट का उपविभाजन/ एकीकरण/ नामान्तरण चाही गयी है। जिसके पडौस निम्नानुसार हैः-

पूर्व	14'10''	पड़ौस	आराजी नं. 211
पश्चिम	15'03''	पड़ौस	रास्ता 40 फीट चौड़ा
उत्तर	69'01''	पड़ौस	प्लॉट सं. 09
दक्षिण	65'07''	पड़ौस	प्लॉट सं. 07

उपरोक्त आवेदित भूखण्ड/भवन का उपविभाजन/एकीकरण/ नामान्तरण जारी करने में यदि किसी हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो आपत्ति सूचना प्रकाशित होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। बाद मयाद कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।

आयुक्त
नगर परिषद, राजसमंद

कार्यालय नगर परिषद, राजसमंद
जिला-राजसमंद

क्रमांक : नपरा/राजस्व/2025-26/4530 दि. 24.2.2025

आपत्ति सूचना पत्र

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है श्री सुरेशचन्द्र पिता श्री मांगीलाल शर्मा निवासी लालपुरा तहसील कुंवारिया व जिला राजसमंद द्वारा ऑनलाइन क्रमांक 174024 से पैतृक/खरीदशुदा से प्राप्तशुदा आवासीय/वाणिज्यिक पट्टेशुदा भूखण्ड/मकान जो राजस्व ग्राम गुड़ली के आराजी नं. 560/494, 585/554, पट्टा सं. 6162 दिनांक 5.09.2024 भूखंड सं. 11 का क्षेत्रफल 727.50 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया। आवेदक द्वारा क्रयशुदा/प्राप्तशुदा उक्त भूखण्ड सं. 11 का क्षेत्रफल 727.50 वर्गफीट का उपविभाजन/एकीकरण/ नामान्तरण चाही गयी है। जिसके पडौस निम्नानुसार हैः-

पूर्व	20'0''	पड़ौस	रूपान्तरित भूखण्ड
पश्चिम	20'0''	पड़ौस	रास्ता 30 फीट चौड़ा
उत्तर	35'3''	पड़ौस	प्लॉट नं. 10
दक्षिण	35'6''	पड़ौस	प्लॉट नं. 12

उपरोक्त आवेदित भूखण्ड/भवन का उपविभाजन/एकीकरण/ नामान्तरण जारी करने में यदि किसी हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो आपत्ति सूचना प्रकाशित होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। बाद मयाद कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।

आयुक्त
नगर परिषद, राजसमंद

हाथों हाथ समस्या का निवारण होने पर खिले चहरे

बांसवाड़ा, (निसं)। ग्रामीण क्षेत्र में जिला कलक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव के हाथों-हाथ समस्याओं का निवारण करने पर ग्रामीणों के चहरें खिलते नजर आए। असल में डॉ. यादव संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों के प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के उद्देश्य से छोटी सरवन क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे।

भ्रमण के दौरान उन्होंने परिवादियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रकरणों के त्वरित निस्तारण की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान परिवादी नितेश सोनी ने पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत सब्सिडी से संबंधित प्रकरण प्रस्तुत किया, वहीं देवीलाल ने क्षेत्र में ट्रांसफार्मर संबंधी समस्या से अवगत कराया। जिला कलक्टर ने दोनों प्रकरणों के शीघ्र समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मौके पर ही प्रारंभ की गई कार्रवाई से परिवादियों ने संतोष व्यक्त किया। स्थानीय नागरिकों ने क्षेत्र में पेयजल समस्या की जानकारी दी, जिस पर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को आवश्यक स्थानों पर वाटर सप्लाई पॉइंट स्थापित करने के निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान उपखण्ड अधिकारी, छोटी सरवन प्रकाश चंदेलिया सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे तथा समन्वय के साथ समस्याओं के समाधान की दिशा में सहयोग प्रदान किया।

नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन

राजसमन्द, (निसं)। लक्ष्मीपत सिंघानिया स्कूल के विद्यार्थियों ने सामाजिक सरोकारों को केंद्र में रखते हुए केलवा क्षेत्र में नुक्कड नाटक का मंचन किया। नाटक में दो प्रमुख समसामयिक और प्रभावशाली विषयों को उठाया गया कृ विद्यार्थियों में बढती मोबाइल की लत तथा वृक्ष लगाओए पर्यावरण बचाओ। प्रस्तुतियों ने दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया।पहले नाटक में विद्यार्थियों ने मोबाइल फ ोन की बढती लत से पढाई, पारिवारिक संबंधों और स्वास्थ्य पर पडने वाले दुष्प्रभावों को सशक्त अभिनय के माध्यम से दर्शाया।

दिव्यांग सहायता शिविर 28 से

डूंगरपुर, (निसं)। महावीर इंटरनेशनल का इस माह का दो दिवसीय दिव्यांग सहायता शिविर माह के अंतिम शनिवार 28 फरवरी एवं रविवार 1 मार्च को महावीर इन्टरनेशनल डूंगरपुर के रोग निदान केन्द्र, ऑडिटोरियम के सामने, नये हॉस्पीटल के पास डूंगरपुर में समय प्रातः11 बजे से लगाया जा रहा है। दिव्यांग सहायता शिविर में दिव्यांगो को जयपुर फुट, बैसाखी, कैलिपर्स, श्रवण यंत्र आदि निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। संस्था के सचिव अविचल जैन ने बताया कि इस बार हड्डी एवं जोड रोग संबंधित आर्थोपेडिक ओपीडी शिविर भी शनिवार 28 फरवरी को आयोजित किया जा रहा हैए जिसमें जीबीएच जनरल एवं कैंसर हॉस्पिटल उदयपुर के डॉ.सौरभ अग्रवाल अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे।

मेवाड राज माली समाज की बैठक आयोजित

राजसमंद, (निसं)। अखिल मेवाड राज माली समाज ट्रस्ट, मातृकुंडिया के तत्वाधान में बारहखेडा चौखला क्षेत्र से गांव देलवाडा में श्री चारभुजा मंदिर परिसर पर बैठक आहुत की गई।

अखिल मेवाड राज माली समाज ट्रस्ट, मातृकुंडिया ट्रस्ट अध्यक्ष एडवोकेट बीएल माली ने बताया कि मेवाड का हरिद्वार मातृकुंडिया में स्थित राज माली समाज की सराय पर निर्मित भगवान श्री पंचमुखी महादेव मंदिर, मातृकुंडिया के जीर्णोद्धार हेतु पूरे मेवाड क्षेत्र से हर घर सहयोग राशि जुटाने का अभियान के चलते बारहखेडा चौखला क्षेत्र से गांव-देलवाडा में बैठक का रखी गई। बैठक में स्थानीय गांव से प्रत्येक हर घर से वरिष्ठजनों, युवाओं और महिलाओं द्वारा भाग लिया गया, धर्म के पुनीत कार्य में बढ-चढ कर भामाशाह के रूप महिलाओं सबसे पहले आगे बढी एवं स्थानीय गांव के आज की बैठक बने सभी भामाशाहों का अखिल मेवाड राज माली समाज ट्रस्ट, मातृकुंडिया के संरक्षक बद्री लाल माली एवं गंगा राम माली द्वारा नए भामाशाहों का तिलक और अपरणा पहनाकर स्वागत और सम्मान किया गया तथा जिला अध्यक्ष एडवोकेट बी एल माली ने विस्तृत रूप में मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु रूप रेखा बताई गई एवं समाज के विकास के लिए शिक्षा पर जोर दिया गया तथा स्थानीय गांव देलवाडा की नवीन कार्यकारिणी की सूची का वाचन मातृकुंडिया ट्रस्ट के उपाध्यक्ष जगदीश चंद्र भोई द्वारा किया गया एवं स्थानीय गांव के अध्यक्ष पद पर मनोनीत तुलसी राम भोई को किया गया। मातृकुंडिया ट्रस्ट के अध्यक्ष एडवोकेट बीएल माली द्वारा उनका स्वागत किया गया एवं सचिव मांगी लाल भोई एवं विधि मंत्री श्री राजेंद्र माली द्वारा पूरे मेवाड क्षेत्र से नवीन भामाशाह आगे आने के लिए आह्वान किया गया

(प्रपत्र संख्या-7)
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर (राज.)

पत्रावली संख्याः-123/2026/1181 दिनांक- 23/2/26

नोटिस

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस सम्बन्धित व्यक्तियो का

चूकि श्रीमती सीमा बंसल अध्यक्ष ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा-17 (2) के अन्तर्गत श्री गणेश एज्युकेशन, सोशल एण्ड इन्वारमेन्ट सोसायटी 34/344 कालका माता मंदिर के सामने, कालका माता रोड़, गणेश नगर, उदयपुर ट्रस्ट प्रन्यास के सम्बन्ध में पंजीयन किये जाने के लिये आवेदन पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपयुक्त प्रन्यास, जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 (साठ) दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के संबंध में आपत्तियां, यदि कोई हों, प्रस्तुत करें।

ओर यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनाक 23/02/26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आगामी पेशी तारीख.05/05/26 की रखी गयी है।

(जतीन कुमार गाँधी)
सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी कार्यार्थी फर्मो ने राजस्व ग्राम नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा के खसरा संख्या- 2826, 2828,2829,2830 पर कृष्णा सर्किल के पश्चिम में स्थित वाणिज्यिक भूखंड संख्या 5,6,7,8,9,10,11,12 कुल क्षेत्रफल 56,030 वर्गफीट को क्रय करने का अनुबंध उक्त भूखंडों के पट्टाधारी स्वामी एवं अधिपत्यधारी श्री नवनरेश झंवर आत्मज श्री रामेश्वरलाल झंवर निवासी शास्त्री नगर, भीलवाड़ा को अग्रिम राशि प्रदान कर लिया है, इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, निकाय आदि को कोई उजर या आपत्ति हो तो वह निम्न पते पर 7 दिवस के भीतर मय असल दस्तावेज संपर्क करे अन्यथा उक्त समयावधि के उपरांत उक्त भूखंडों के विक्रय पत्र का पंजीयन करवा दिया जावेगा उसके बाद, विरूद्ध दर्ज करवाई आपत्ति शून्य एवं निष्प्रभावी रहेगी।

स्थान: नाथद्वारा
दिनांक :- 26/02/2026

एडवोकेट मयंक पालीवाल
नानीजी का बाग, बस स्टेण्ड रोड,
नाथद्वारा (राज.) मो. 8005973328

साफ-सफाई व स्वच्छ वातावरण का संदेश दिया

बांसवाड़ा, (निसं)। गोविंद गुरु जनजातिय विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के सात दिवसीय विशेष शिविर के अंतर्गत सामाजिक सरोकारों से जुडी विविध गतिविधियां हुईं। स्वयंसेवकों ने डायलाब मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाते हुए मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्र की साफ-सफाई और स्वच्छ वातावरण का संदेश दिया। कचरा संग्रहण, प्लास्टिक निष्कासन तथा परिसर को व्यवस्थित करने का कार्य सामूहिक श्रमदान के माध्यम से किया गया। कुलगुरु प्रो. केशव सिंह ठाकुर ने अभियान का निरीक्षण करते हुए स्वच्छता ही सेवा है का संदेश दिया वहीं श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। कार्यक्रम के तहत विचार गोष्ठी भी हुई जिसमें मेरा युवा भारत के जिला संयोजक योगेश चारण ने कहा कि युवा यदि अपने जीवन में चरित्र, अनुशासन और सेवा भावना को आत्मसात करें तो समाज में सकारात्मक और स्थायी परिवर्तन संभव है। कार्यक्रम अधिकारी डॉ. लोकेन्द्र कुमार ने सड़क सुरक्षा विषय पर जानकारी देते हुए हेलमेट पहनने और यातायात नियमों का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना को व्यक्तित्व विकास की सशक्त पाठशाला बताते हुए कहा कि सेवा और समर्पण से ही राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है। कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अर्पित पाठक ने शिविर की गतिविधियों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए स्वयंसेवकों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन युवाओं में सामाजिक चेतना जागृत करने के साथ-साथ सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करते हैं। जीजीटीयू के एनएसएस स्वयं सेवक डायलाब मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाते ।

स्कूल समय के दौरान धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने पर आपत्ति

डूंगरपुर, (निसं)। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) के जिलाध्यक्ष जितेश वरहात ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय, संचिया में 21 फरवरी 2026 को विद्यालय समय प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे तक, प्राण प्रतिष्ठा नामक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराई है। कार्यक्रम का संचालन कार्यवाहक संस्था प्रधान राकेश पंड्या द्वारा किया।

एसएफआई का स्पष्ट आरोप है कि राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः संचालित विद्यालय में इस प्रकार का धार्मिक आयोजन भारतीय संविधान की मूल भावना के विपरीत है। संविधान के अनुच्छेद 28,1 में स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य निधि से पूर्णतः संचालित शैक्षणिक संस्थानों में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे में विद्यालय समय में धार्मिक अनुष्ठान आयोजित करना संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना है। विद्यालय में लगभग 500 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं तथा 12 शिक्षक कार्यरत है। वर्तमान में वार्षिक परीक्षाएं संचालित हो रही हैं, जबकि जानकारी के अनुसार पाठ्यक्रम भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे संवेदनशील समय में शैक्षणिक कार्य बाधित कर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करना विद्यार्थियों के हितों की उपेक्षा दर्शाता है।

स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जिला कमेटी के संज्ञान में यह बात भी आई है कि पिछले दिनों संचिया स्कूल में जो धार्मिक अनुष्ठान किया गया है वह पूरी तरीके से साम्प्रदायिक एजेंडा नजर आ रहा है कि संविधान में कही भी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक ग्रंथों, मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों चर्च को स्थापित करने का जिक्र है न कि ओर सरकारी कार्यालय से कोई लिखित अनिवार्य आदेश है बावजूद इसके इस तरह के आयोजन खुले आम किए जाते है ,केवल संचिया स्कूल ही नही राज्य व जिले की अनेकों स्कूलों में ऐसे आयोजन आम बात हो गई है जबकि शिक्षा विभाग की गाइड लाइन में कही जिक्र नही है न ही ऐसे आयोजनों की अनुमति ली जाती है,शिक्षण संस्थानों में अनेकों धर्म जाति समुदाय के विद्यार्थी अध्ययन करते है ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में इस तरीके के आयोजन उचित नही है ऐसे आयोजनों से अन्य धर्मो में विश्वास रखने वाले विद्यार्थियों व आयोजित कार्यक्रम के धर्म के विद्यार्थियों के बीच टकराहट जैसी स्थिति बन सकती है राज्य सरकार लगातार ऐसे कार्यक्रमों को अनदेखा करेंगी तो इसका परिणाम ठीक नही होगा।

एसएफआई एवं संचिया ग्रामवासियों द्वारा संयुक्त रूप से जिला कलेक्टर, डूंगरपुर को ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्च स्तरीय जांच, कार्यक्रम आयोजन की अनुमति से संबंधित अभिलेखों की जांच तथा जिम्मेदार शैक्षणिक अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध सेवा नियमों के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। संगठन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है तो एसएफआई एवं स्थानीय नागरिक लोकतांत्रिक एवं चरणबद्ध आंदोलन प्रारंभ करेंगे।

मॉक ट्रायल

बांसवाड़ा, (निसं)। डॉ. नागेंद्र सिंह विधि महाविद्यालय में विधि तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों ने हत्या के काल्पनिक मामले पर मॉक ट्रायल कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को न्यायालयीन प्रक्रिया की व्यावहारिक जानकारी प्रदान करना रहा। विद्यार्थियों ने न्यायाधीश, लोक अभियोजक, बचाव पक्ष अधिवक्ता तथा गवाहों की भूमिका निभाते हुए हत्या के काल्पनिक प्रकरण का न्यायालयीन विचारण प्रस्तुत किया।

विचारण के दौरान अभियोजन एवं बचाव पक्ष द्वारा साक्ष्य एवं तर्क प्रस्तुत किए गए। अंत में न्यायाधीश ने निर्णय सुनाया। भारतीय विद्या मंदिर संस्थान के सचिव प्रो. महिपाल सिंह ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम विद्यार्थियों की समझ विकसित करते हैं तथा उन्हें एक सफल विधि व्यवसायी बनने के लिए प्रेरित करते हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. विक्रम सिंह ने कहा कि मॉक ट्रायल जैसे कार्यक्रम विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं।

सामुदायिक एवं व्यावहारिक विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर
महाराणा प्रताप कृषि एंव प्रौधोगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर
Office: +91-0294-2471914, 29466679(O), Email: deanchsc@yahoo.co.in

क्रमांक/सीसीएएस/लेखा/2026/1649 दिनांक: 26.02.2026

ई-निविदा सूचना-02 (2025-26)

सामुदायिक एंव व्यावहारिक विज्ञान महाविद्यालय,मप्रकृप्रौविवि, उदयपुर कें विभिन्न विभागों एंव छात्रावास मे कार्य के लिए अस्थाई कार्मिक की सेवाएँ प्रदान करने हेतु ई-निविदाएँ आमन्त्रित की जाती है। समस्त शर्ते एवं विस्तृत विवरण एवं निविदा प्रारूप वेबसाइट www.mpuat.ac.in, www.ccasmpuat.ac.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते है।

कम स.	कार्य विवरण	NIB code	UBN No.
1.	महाविद्यालय के विभिन्न विभागों एंव छात्रावास मे कार्य के लिए अस्थाई कार्मिक की सेवाएँ प्रदान करने हेतु	ATU2526A0286	ATU2526SLOB00346

अधिष्ठाता

कार्यालय नगरपालिका नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द (राज.)
Email: np_ntd@yahoo.in Phone:- 02953-233526

क्रमांक /न.पा.नाथ/उप.एकी./2026/18206 दिनांक : 20.2.2026

- : आपत्ती सूचना :-

एतर्थ द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा जरिये क्रय शुद्वा/पट्टा शुद्वा के आधार पर भूखण्डों का उपविभाजन/एकीकरण का स्वयं के नाम पर निम्नांकित वर्णित सम्पत्ति पर उपविभाजन/एकीकरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन के संबंध में किसी भी हितधारी को कोई आपत्ती हो तो 7 दिवस (कार्य दिवस) में नगरपालिका कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दें अन्यथा प्रकरण में कोई आपत्ती प्राप्त नहीं होने एवं दस्तावेज पूर्ण पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए उक्त प्रकरणों में आगामी कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी।

क्र. सं.	आवेदक का नाम व पता	आवेदित सम्पत्ति कापता	पड़ौस का विवरण			
			पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1.	श्रीमती कल्पना जैन पत्नि श्री मनीष कुमार लोढा निवासी-नई हवेली चौक, नाथद्वारा	भूखण्ड संख्या-ए क्षैत्रफल- 1060 वर्गफीट भण्डारी बावड के सामने, लाल बाग, नाथद्वारा	श्रीमती सरोज शर्मा का भूखण्ड	श्री फतेहलाल जी का भूखण्ड	गली उसके आगे कृषि भूमि	20 फिट रोड

आयुक्त, नगरपालिका नाथद्वारा

कार्यालय नगरपालिका मावली, जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांकः- न.पा.मा./2025-26/897 दिनांकः 25.2.26

-:: ऊजरदारी सूचना ::-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित प्रार्थी ने आवेदन प्रस्तुत कर नगरपालिका क्षेत्र में स्थित स्वयं के "पुश्तैनी"/खरीद शुदा/ पंजीकृत/अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर खरीदशुदा मकान/भुखण्ड का 69-क/स्टटे ग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टा चाहा गया है। इस बाबत इनके मालिकाना हक संबंधी अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो इस ऊजरदानी सूचना प्रकाशन के 7 दिवस में अपनी आपत्ति मय दस्तावेज के नगरपालिका कार्यालय में दर्ज करा सकते है। बाद मियाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, तथा 69-क/स्टटे गान्ट एक्ट के तहत् पट्टा/समर्पण जारी करने संबंधी अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

क्र. सं.	आवेदनकर्ता का नाम	कॉलोनी/ मोहल्ला	स्थित मकान/भूखण्ड के पड़ौस				क्षैत्रफल वर्गफीट में
			पूर्व	पश्चित	उत्तर	दक्षिण	
1.	श्रीमति धापु बाई पति स्व. श्री अमरचंद जी जाट निवासी मुख्य चौराहा मावली	मुख्य चोराहा मावली	उदयपुर-चित्तौड रोड	रामपाल गुस्सर का प्लॉट	श्री माधव लाल जाट पिता श्री हिरा लाल जी जाट	खेमराज चौधरी की दुकान	748 वर्गफीट
2.	श्रीमती लहरी बाई पति श्री हीरा लाल जाट निवासी गायत्री नगर मावली	गायत्री नगर मावली	आम रास्ता	आम रास्ता	रामजी पुजारी का प्लाट	शंकर जी जाट का मकान	2992.5 वर्गफीट

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका मावली

अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ का 23 वां राष्ट्रीय सम्मेलन सम्पन्न

■ डूंगरपुर से सम्मेलन में 12 प्रतिनिधियों से लिया भाग

डूंगरपुर, (निसं)। अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ का 23 वाँ राष्ट्रीय सम्मेलन, भुवनेश्वर (उडीसा) में 22 और 23 फरवरी को सम्पन्न हुआ। देश भर के 15०० जिसमें राजस्थान के प्रतिभागियों ने सम्मेलन में भाग लिया।

अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष एम.के.रैना ने भारत व नेपाल से आए सभी प्रतिनिधियों को संबोधित किया। उन्होंने कहां कि भारत के वरिष्ठ नागरिक आँकडे नहीं हैं, वे राष्ट्र का अनुभव,स्मृति और ज्ञान का भंडार हैं। उन्होंने बताया कि यह लाखों वरिष्ठ नागरिकों का जिम्मेदार राष्ट्रीय संगठन है, जो संवाद के माध्यम से पेंशन, जेरियाट्रिक स्वास्थ्य सेवा, कानूनी जागरूकता और सक्रिय वृद्धावस्था पर कार्य कर रहा है। वरिष्ठ नागरिक संस्थान राजस्थान के अध्यक्ष भंवर सेठ ने बताया कि सम्मेलन में वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित कई समस्याओं पर विचार किया। जैसे वरिष्ठ नागरिकों का बढता इलाज खर्च और महंगाई से घटती आय, सामाजिक अकेलापन और महत्वपूर्ण रियायतों का समाप्त होना जिसमें मुख्य रूप से रेलवे रियायत बंद होना, नीतियों में बिखराव वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से मंत्रालय का अभाव के साथ सरकार से मुख्य मांगें रही कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग मंत्रालय हो, रेलवे रियायत की पुनः शुरुआत की जावे, महंगाई से जुडी न्यूनतम पेंशन व्यवस्था एक समान पूरे देश में लागू की जावे। जिलाध्यक्ष श्रीमाल ने बताया कि उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि पूरी के संसद संबित पात्रा ने पूर्व व वर्तमान पारिवारिक व्यवस्थाओं पर विस्तृत प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरदान है। इस पेंशन व्यवस्था का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। राजस्थान के प्रदेश महामंत्री मदन खटोड ने बताया कि हमें विशेषाधिकार नहीं, सहभागिता चाहिए। उपकार नहीं, न्याय चाहिए। बुढापा पतन नहीं परिष्कार है। डूंगरपुर के दल ने श्री जगन्नाथ पूरी में भगवान के दर्शन कर कोणार्क के सूर्य मंदिर की भव्यता को सराहा। पूरी का समुद्र बीच भी आकर्षण का केंद्र है। इसके बाद एशिया की सबसे बडी चिलका झील में सैर करते हुए डॉल्फिनों की उछल कूद को निहारा। नाविकों ने बताया कि झील में लाल केकडों की भरमार है जो समुंदरी तूफान के आने के दो दिन पूर्व संकेत दे देते हैं। मछली पकडने वाले इन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। भुवनेश्वर में महालिंगराज का मंदिर भी अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है।

महासचिव जगदीश वैष्णव ने बताया कि उडीसा के लोग सहयोगी प्रवृत्ति के हैं। ज्ञात रहे कि उक्त सम्मेलन में डूंगरपुर से 12 प्रतिनिधियों ने सहभागिता निभाई जिसमें जिलाध्यक्ष दिनेश श्रीमाल, विनय शर्मा, महासचिव जगदीश वैष्णव, त्रिलोक चौबीसा, चंद्रकांत वसीटा,जवाहरलाल जैन, रामलाल पाटीदार, कृष्णदास वैष्णव, हरीराम मीणा, गौरीशंकर जोशी, सुबोध माथुर, अमृतलाल यादव ने भाग लिया।